L. A. BILL No. XXII OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २२ सन् २०२१।

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में, अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, १ अक्तूबर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९६५ का महा. ४०।

सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक ५।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह १ अक्तूबर २०२१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा १० में संशोधन।

२. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १० की, उप-धारा (२) के, परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ४०।

"परंतु, महाराष्ट्र नगर परिषदों, **नगर पंचायतों** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण के पश्चात्, परिषदों के सामान्य निर्वाचनों के संबंध में, प्रत्येक प्रभाग, यथासंभव शीघ्र, दो पार्षदों को किंतु तीन से अनधिक पार्षदों को निर्वाचित करेगा, और धारा १४ की, उप-धारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मतदाता, उसके प्रभाग में निर्वाचित किए जानेवाले पार्षदों की उसी संख्या में मतों का मतदान करने के लिए हकदार होगा।" । सन् २०२१ का महा.

सन् २०२१ का महा. अध्या. क्रमांक ५ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक ५।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोशित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, नगर परिषद के प्रत्येक प्रभाग में केवल एक पार्षद का निर्वाचन होता है । कोविड-१९ महामारी के कारण राज्य में नगर परिषदों के क्षेत्रों के भीतर जब स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया था, तब नगर निकायों में बहु सदस्य प्रभाग प्रणाली का होना आवश्यक महसूस किया गया था । ऐसी स्थिति का पुनरीक्षण करने के पश्चात् तथा नगर परिषदों का कारोबार सुचारू रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंधों में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है ।

२. यह प्रस्तावित करना है कि, नगर परिषद के प्रत्येक प्रभाग में दो पार्षदों को परंतु तीन से अनधिक पार्षदों को निर्वाचित किया जायेगा । इसी प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा १० में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित किया गया है ।

३. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक ५), १ अक्तूबर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है ।

मुंबई,
दिनांकित ३ नवम्बर, २०२१।

एकनाथ शिंदे,
नगर विकास मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।